विषयः– हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के एक कार्यालय/शाखा से दूसरे कार्यालय/शाखा में स्थानान्तरण/नियुक्ति आदेश होने पर सम्बन्धित कार्यालय/शाखा में शीघ्र कार्यभार ग्रहण करनें बारे।

....

क्या हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी संयुक्त सचिव/उप–सचिव/अवर सचिव/अधीक्षक/उप–अधीक्षक एंव शाखा अधिकारी कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगें?

2. प्रायः देखने में आया है कि हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने पर वह अपने पूर्व अधिकारी से कार्यभार मुक्त आदेश प्राप्त किए बगैर ही अपने नव नियुक्ति स्थान/कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लेते है, इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया है कि कई बार अधिकारी/कर्मचारी एक कार्यालय/शाखा से स्थानान्तरित होने उपरान्त भी कई दिनों तक अपने नव–नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण नही करते है, जो कि तर्क–संगत नही है, तथा कई बार प्रशासनिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः हरियाणा सिविल सचिवालय में काडर एंव एक्स काडर पदों पर कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए जाते है कि वे स्थानान्तरण होने पर सम्बन्धित कार्यालय शाखा अधिकारी से कार्यभार मुक्त होकर दो दिनों के अन्दर–अन्दर अपने नव नियुक्ति स्थान/कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करे, ऐसा न करनें पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगे।'

Ramesh Kumar
अधीक्षक स्थापना–I
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
27/2/2020

सेवा मे,

हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी संयुक्त सचिव/उप–सचिव/अवर सचिव/ अधीक्षक/ उप–अधीक्षक एंव शाखा अधिकारी।

अशाः क्रमांकः 3/1/2020–1स्था–I दिनांक 26.02.2020
पृ0 क्रमांक 3/1/2020–1स्था–I दिनांक 26.02.2020

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. प्रधान स्थानीय आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, हरियाणा भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, राज्यपाल हरियाणा।
3. जांच अधिकारी चौकसी, हरियाणा।
3. निदेशक, अल्प बचतें, हरियाणा।
4. आयुक्त, हरियाणा गुरूद्वारा चुनाव आयोग।
5. सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, सैक्टर 2, पंचकूला ।
6. निदेशक, सैनिक एंव अर्ध सैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा, सैक्टर 12, पंचकूला।

Ramesh Kumar
अधीक्षक स्थापना–I,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
27/2/20

आन्तरिक वितरण :–

1. मुख्य मन्त्री, हरियाणा तथा अन्य मंत्रियों के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजि सचिव।
2. मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सभी ओ0एस0डी0 व अन्य अधिकारियों के सचिव/निजि सचिव/निजि सहायक।
3. निजि सचिव/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।
4. डी.डी.ए./मुख्य सचिव।
5. प्रशासकीय अधिकारी, हरियाणा सिविल सचिवालय।

Ramesh Kumar
अधीक्षक स्थापना–I
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,